उत्तर प्रदेश शासन

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2

सं0- एम0एस0-29/62-2-2017-2/4(22)/2017

लखनऊ: दिनांक: 02 अगस्त,2017

कार्यालय ज्ञाप

सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग कमेटी गठित करने विषयक कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-3/2017/13(1)/2007/का-1/2017, दिनांक 06.7.2017 में दी गयी व्यवस्था के दृष्टिगत लघु सिंचाई विभाग के समूह-क (अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता) तथा समूह-ख (सहायक अभियंता) के अधिकारियों की स्क्रीनिंग पर विचार किये जाने हेतु निम्नानुसार स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाता है:-

| | | |
|---|---|---|
| (क) | प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0 प्र0 शासन | अध्यक्ष |
| (ख) | मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ | सदस्य |
| (ग) | विशेष सचिव, कार्मिक विभाग, उ0 प्र0 शासन | सदस्य |

2- उक्त समिति द्वारा समूह-क एवं ख के ऐसे अधिकारियों, जिनकी 50 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु दिनांक 31.03.2017 को पूर्ण् हो चुकी है और उनके विरूद्ध अभियोजन/वृहद दण्ड एवं अनुशासनिक कार्यवाही की गयी हो, ऐसे सरकारी सेवकों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति के संबंध में विचार कर अपनी संस्तुति प्रदान करेगी, जो अनिवार्य सेवा निवृत्ति के लिए विचार योग्य समझे जायेगें।

मोनिका एस. गर्ग

प्रमुख सचिव।

सं0-एस0एस0-29(1)/62-2-2017,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति/कार्मिक विभाग, उ0 प्र0 शासन।

3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0 प्र0 शासन।

4- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( संदीप कौर )

विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in